सं0-2457/62-2-2016-2/3(18)/2016

प्रेषक,

राम किंकर मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

अधिशासी अभियंता,
लघु सिंचाई संबंधित प्रखण्ड,

लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2 लखनउ- दिनांक- 28 अक्टूबर,2016

विषय- चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के अन्तर्गत अनुदान सं0-83 (एस0सी0एस0पी0) के अधीन आयोजनागत पक्ष में लघु एवं सीमान्त कृषकों को कृषि उत्पादन हेतु सहायता (नि:शुल्क बोरिंग योजना) में प्राविधानित धनराशि के अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग के पत्र सं0-जी-488/ल0सिं0/बजट-SCSP/TSP/2016-16, दिनांक 08.9.2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में लघु एवं सीमान्त कृषकों को कृषि उत्पादन हेतु सहायता (नि:शुल्क बोरिंग योजना) के अन्तर्गत एस0सी0एस0पी0 के कृषकों के लिए प्राविधानित धनराशि रू0-3550.00 लाख के सापेक्ष शासनादेश सं0-1165/62-2-2016-2/3(18)/2016, दिनांक 18.4.2016 द्वारा प्रथम छमाही हेतु 50 प्रतिशत की सीमा तक की धनराशि रू0-1775.00 लाख अवमुक्त की जा चुकी है। इस प्रकार अवशेष धनराशि रू0-1775.00 लाख (रूपया सत्रह करोड पचहत्तर लाख मात्र) संलग्न विवरणानुसार राज्यपाल महोदय आपके निर्वतन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति उपर्युक्त शासनादेश सं0-1165/62-2-2016-2/3(18)/2016, दिनांक 18.4.2016 मे उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है।

2- उक्त के अतिरिक्त यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि गत वित्तीय वर्ष 2015-16 की जिला योजना के अन्तर्गत जिन जनपदों में किसी योजना हेतु उपलब्ध परिव्यय उस योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2016-17 में उपलब्ध बजट प्राविधान से कम अथवा शून्य है, उन योजनाओं में बजट की सीमा तक की स्वीकृति जारी करने पर कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग को इस शर्त के साथ कोई आपत्ति प्रतीत नही होती है कि उन योजना में जिला योजना समिति का कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करेगें तथा अनुसूचित जाति सब प्लान/ट्राईवल सब प्लान के मानकों का अनुपालन करते हुए सम्पूर्ण धनराशि का व्यय सुनिश्चित करेंगें।

3- तत्संबंधी व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के अन्तर्गत अनुदान सं0-83 के अधीन **"लेखा शीर्षक-2702-लघु सिंचाई-आयोजनागत-80-सामान्य-789-अनुसूचित जातियों के विशेष घटक योजना-07-लघु एवं सीमान्त कृषकों को कृषि उत्पादन हेतु सहायता (नि:शुल्क बोरिंग योजना)-27--सब्सिडी"** के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 उ0 प्र0 शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22.3.2016 तथा बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण के पत्र सं0-07/26-ब0प्र0/2015, दिनांक 27.03.2016 में प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे है।

संलग्नक:यथोक्त।

भवदीय,
ह0/
(राम किंकर मिश्र)
संयुक्त सचिव।

सं0-2457(1)/62-2-2016, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)।/।। उ0 प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) ।/।। उ0 प्र0 इलाहाबाद।
3- मुख्य अभिंयता, लघु सिंचाई विभाग उ0 प्र0 लखनऊ।
4- समस्त अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई वृत्त।
5- संबंधित जिलाधिकारी।
6- संबंधित मुख्य विकास अधिकारी/अतिरिक्त् जिलाधिकारी (विकास)/जिला विकास अधिकारी।
7- संबंधित सहायक अभियंता, लघु सिचाई विभाग।
8- संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
9- नियोजन अनुभाग-3, उ0 प्र0 शासन।
10- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3, उ0 प्र0 शासन।
11- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0 प्र0 शासन।
12- बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण एवं नियोजन प्रकोष्ठ, समाल कल्याण् विभाग।
13- निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।
14- एन0आई0सी0 की प्रति।
15- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/
(संजय शुक्ला)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।